

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-01/उ०नि०-ACP/MACP -05/14

आदेश

वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-03/एम० 2-5 वे०पु०-22/99, 4685 वि०(2), दिनांक 25.06.2003 अधिसूचना सं० 03/एम० 2-5 वे०पु० 28/99-1802 दिनांक 23.03.2006 वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566, दिनांक 14.07.2010 (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति योजना 2010) एवं उद्योग विभाग के पत्रांक-4643 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन गठित उद्योग निदेशालय स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (आदेश ज्ञापांक-36 दिनांक-11.01.2017) की दिनांक 28.08.18 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निर्गत विभागीय ज्ञापांक-3135 दिनांक-10.09.18 के अनुशंसित प्रावधानों के तहत उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, केन्द्र के कर्मी, रूपांकक, क्षेत्रीय आदेशपाल (कार्यालय परिचारी) एवं उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कर्मी को प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के प्रभावी होने की तिथि 09.08.99/01.01.2009 अथवा 10 वर्ष/20 वर्ष/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से देय प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति उनके नाम के सामने अंकित तिथि एवं वेतनमान में दी जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पदस्थापन स्थान	प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी।	जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।	-	दिनांक 20.08.18 से द्वितीय MACP देय। Level-8	-	
2.	श्री सतीश कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	-	दिनांक 20.07.18 से द्वितीय MACP देय। Level-9	-	
3.	श्री रमेश कुमार शर्मा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	-	दिनांक 28.06.17 से द्वितीय MACP देय। Level-9	-	
4.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, उच्चवर्गीय लिपिक।	उद्योग निदेशालय (लेड्डा शाखा), बिहार, पटना।	-	-	दिनांक 13.11.2017 से तृतीय MACP देय वेतनमान 9300-34800 GP-4800 लेवल-08 (पु०)	
5.	श्री उमेश राम, उच्चवर्गीय लिपिक।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	-	-	दिनांक 03.08.2017 से तृतीय MACP देय वेतनमान 9300-34800 GP-4800 लेवल-08 (पु०)	
6.	श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, निम्नवर्गीय लिपिक।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	-	-	दिनांक 30.11.2017 से तृतीय MACP देय वेतनमान 9300-34800 GP-4200 लेवल-06 (पु०)	
7.	श्री अशोक कुमार मेहता, निम्नवर्गीय लिपिक।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	-	-	दिनांक 13.11.2017 से तृतीय MACP देय वेतनमान 9300-34800 GP-4200 लेवल-06 (पु०)	
8.	श्री अखिलेश, निम्नवर्गीय लिपिक।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	दिनांक 30.01.18 से प्रथम MACP देय वेतनमान 5200-20200 GP-2000 लेवल-3 (पु०)	-	-	

क०पु०उ०

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पदस्थापन स्थान	प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय एम०ए०सी०पी०	तृतीय एम०ए०सी०पी०	3
9.	श्रीमती रूक्मिणी कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक।	जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।	दिनांक 16.10.17 से प्रथम ACP देय वेतनमान 5200-20200 GP-2000 (अपु०) Level-3 (पु०)	-	-	
10.	श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, लिपिक-सह-भण्डारपाल (उच्चवर्गीय लिपिक)	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।	-	-	दिनांक 09.03.2018 से तृतीय MACP देय वेतनमान 9300-34800 GP-4800 (अपु०) Level-8 (पु०)	
11.	श्री सत्य प्रकाश, उच्चवर्गीय लिपिक।	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	-	दिनांक 27.07.2018 से द्वितीय MACP देय वेतनमान 9300-34800 GP-4600 (अपु०) Level-7 (पु०)	-	
12.	श्री चन्द्रभूषण सिंह, कुशल शिल्पी।	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।	-	-	दिनांक 04.08.17 से तृतीय MACP देय। Level-5 (पु०)	
13.	श्री वीरेन्द्र राम, रूपांकक, (सेवानिवृत्त)।	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।	-	-	दिनांक 31.07.17 से तृतीय MACP देय। Level-9 (पु०)	
14.	श्री अजीत कुमार, रात्रि प्रहरी।	जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज।	दिनांक 23.12.16 से प्रथम MACP देय। Level-2	-	-	
15.	श्रीमती मंजू देवी, रात्रि प्रहरी।	जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी।	दिनांक 27.11.16 से प्रथम MACP देय। Level-2	-	-	
16.	श्री सुनील कुमार झा, आदेशपाल सह रात्रि प्रहरी।	जिला उद्योग केन्द्र, आरा।	-	-	दिनांक 12.04.16 से तृतीय MACP देय। Level-4	
17.	श्री किशोर मंडल, चपरासी।	जिला उद्योग केन्द्र, समुस्तीपुर।	-	-	दिनांक 19.04.16 से तृतीय MACP देय। Level-4	
18.	श्री कपिलदेव प्रसाद, आदेशपाल।	जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर।	-	दिनांक 06.12.16 से द्वितीय MACP देय। Level-3	-	

2. किसी भी कर्मी के सम्बन्ध में उल्लेखित आँकड़ों में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. सभी कर्मियों के मामले में मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (1) के अधिन वेतन निर्धारण किया जायेगा।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक

सं०सं०-01/उ०नि०-ACP/MACP -05/14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक

सं०सं०-01/उ0नि0-ACP/MACP -05/14

प्रतिलिपि:- उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक

सं०सं०-01/उ0नि0-ACP/MACP -05/14

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार ...../विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3417

/पटना, दिनांक ५.१०.१८

सं०सं०-01/उ0नि0-ACP/MACP -05/14

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/सभी निदेशालय, उद्योग विभाग/सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।  
3.10.18